

हाथी संख्या 2700 / फं.कं.सि.०.०

दिनांक: 24/04/24 लखनऊ

पत्रांक: 7160/आई0बी0/अन्तरण/अनु0-94/पूजीलेखा

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0।

लखनऊ दिनांक: मार्च, 31, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 08-01-2022 के क्रम में संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, 30प्र0शासन के पत्र संख्या-100/22-27-सि-65एसएवी/21, दिनांक 07-02-2022 द्वारा सी0सी0एल0 प्रणाली को समाप्त कर कोषागार प्रणाली लागू किये जाने एवं शासन के पत्र संख्या-2259/23-27-सि0-9-38एसएवी/22 दिनांक 06.11.23 के बिन्दु संख्या-02(क) एवं 02(ख) द्वारा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट आवंटन एवं आनलाईन फीडिंग/अन्तरण हेतु धन की मांग के क्रम में सम्बन्धित खण्ड को निम्नानुसार अंकित विवरण के अनुसार व्यय हेतु सर्वर पर आनलाईन फीडिंग/ अन्तरण हेतु विवरण निम्नानुसार है:-

क्र 0 सं 0	परियोजना का नाम	लेखा शीर्षक	शासकीय स्वीकृति का संदर्भ	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का संदर्भ	खण्ड का नाम/ आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं डी0डी0ओ कोड	कोषागार/ जनपद	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	
1.	जनपद उन्नाव में चोधरी चरण सिंह डलमऊ (बी) पम्प नहर की पुनर्स्थापना की पुनिकित परियोजना	4700-08-051-10-14-24	196/2024/207पी/24-27-सि0-4/001-49-डब्ल्यू-परि0-2005 दिनांक 28-03-2024	मु0अभि0(शारदा) बरेली के पत्रांक-3452/मुअशाब दिनांक 30.03.2024	उन्नाव खण्ड शारदा नहर उन्नाव, 4801	उन्नाव	1000.00
						योग-	1000.00

(रु० दस करोड मात्र)


अनिल कुमार

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

पत्रांक- / (1)/आई0बी0/तदिनांक:


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4/9 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1(रूहेलखण्ड) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, बरेली।
- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्तानुसार तालिका एवं मुख्य अभियन्ताओं के पत्र की छायाप्रतियों के अनुरूप अन्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/अनुश्रवण) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, बरेली।
- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर-केन्द्र) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता.....।
- संबन्धित अधिशासी अभियन्ता.....।
- स्टाफ अधिकारी(बजट)मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- कट फाईल हेतु।


(राकेश कुमार)
मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।


24/04/24



SPee 8/0/4/24